कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 197/दो—11—31/11 नर्मदापुरम, दिनांक 14.02.2026

श्रीमती हेमलता वर्मा, सहायक ग्रेड—3, कार्यालय अनुभाग, नर्मदापुरम का रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक सी/57/चार—8—70/2025 जबलपुर दिनांक 07.01.2026 के साथ संलग्न म0प्र0 शासन वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक 315 भोपाल दिनांक 24.11.2025 के अनुसार म0प्र0 सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 के नियम 40 के उपनियम (1) के अंतर्गत, दिनांक 05.03.2026 से 18.03.2026 तक कुल 14 दिवस का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदिका के संतान पालन अवकाश लेखे में 551 दिवस का स्वत्व शेष है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क्र0 202/दो—11—31/11 नर्मदापुरम, दिनांक 14.02.2026

यथाआदेश प्रतिलिपिः—

01 प्रभारी अधिकारी कार्यालय अनुभाग, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं श्रीमती हेमलता वर्मा, सहायक ग्रेड—3 को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।

02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

14/2/26.

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)